

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

02 प्राथमिक शाला का पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु ₹ 63.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	प्रति संस्था	कुल पद संख्या
1.	प्रधान पाठक	9	1	2
2.	शिक्षक	8	4	8
	योग		5	10

संस्था का विवरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	शाला का नाम
1	बीजापुर	बीजापुर	प्राथमिक शाला जैवारम
2	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्राथमिक शाला पहाड़करवा

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹1,200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

1. 08 पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन हेतु ₹ 24.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	प्रति संस्था	पद संख्या
1	प्राचार्य	12	01	08
2	व्याख्याता	09	06	48
3	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	06	01	08
4	सहायक शिक्षक विज्ञान/सहायक शिक्षक	06	01	08
5	सहायक ग्रेड-3	04	01	08
6	भृत्य (नियमित)	01	01	08
7	चौकीदार	आकस्मिक स्थापना	01	08
8	स्वच्छक (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	01	08
	योग		13	104

संस्था का विवरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	शाला का नाम
1	सरगुजा	लुण्ड्रा	पूर्व माध्यमिक शाला सहनपुर
2	कांकेर	दुर्गकोदल	कन्या पूर्व माध्य. शाला दुर्गकोदल
3	बीजापुर	बीजापुर	नवीन कन्या माध्य. शाला बीजापुर
4	सरगुजा	लुण्ड्रा	पूर्व माध्यमिक शाला बटवाही
5	बालोद	डौण्डी	पूर्व माध्यमिक नरटोला
6	गरियाबंद	मैनपुर	पूर्व माध्यमिक भूतबेड़ा
7	सुकमा	छिन्दगढ़	पूर्व माध्यमिक कांजीपानी
8	सुकमा	छिन्दगढ़	पूर्व माध्यमिक गंजेनार

2. 20 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु ₹ 60.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	मैट्रिक्स लेवल	प्रति संस्था	कुल पद संख्या
------	-------	----------------	--------------	---------------

1	व्याख्याता	09	04	80
2	शिक्षक	08	01	20
3	सहायक शिक्षक	06	01	20
4	ग्रंथपाल	05	01	20
4	सहायक ग्रेड-3	04	01	20
5	भृत्य (नियमित)	01	01	20
योग			09	180

संस्था का विवरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	शाला का नाम
1	बालोद	डौण्डी लोहारा	हाईस्कूल कोबा
2	कांकेर	अंतागढ़	हाईस्कूल कलेपरस
3	सुकमा	छिन्दगढ़	हाईस्कूल किकिरपाल
4	बीजापुर	बीजापुर	हाईस्कूल चेरपल्ली
5	बस्तर	जगदलपुर	हाईस्कूल नेतानार
6	बस्तर	जगदलपुर	हाईस्कूल पोड़ागुड़ा
7	बस्तर	जगदलपुर	हाईस्कूल तुरेनार
8	कांकेर	भानुप्रतापपुर	हाईस्कूल कनेचुर
9	बस्तर	जगदलपुर	हाईस्कूल पनारापारा/प्रवीर वार्ड
10	बस्तर	जगदलपुर	हाईस्कूल भैरमगंज/सुभाष वार्ड
11	बस्तर	जगदलपुर	हाईस्कूल बाण्डापारा
12	कोरबा	कटघोरा	हाईस्कूल बिरदा
13	कोण्डागांव	माकड़ी	हाईस्कूल एरला
14	जशपुर	दुलदुला	हाईस्कूल पतराटोली
15	राजनांदगांव	खैरागढ़	हाईस्कूल गाडाघाट
16	राजनांदगांव	छुरिया	हाईस्कूल तेलिनबंधा
17	बलरामपुर	वाडुफनगर	हाईस्कूल बडकागांव
18	कोरबा	कोरबा	हाईस्कूल चिरा
19	कोरबा	करतला	हाईस्कूल तरदा
20	कोरबा	करतला	हाईस्कूल करवाद्वारी

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 से 8

1. पथलगांव जिला जशपुर में 250 सीटर अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की स्थापना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 400 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन लेवल	पद संख्या
1.	छात्रावास अधीक्षक	लेवल-09	01
2.	चतुर्थ श्रेणी	आकस्मिकता स्थापना	05
3.	पूर्णकालिन स्वीपर	कलेक्टर दर	01
योग			07

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 400 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. 50/100 सीटर प्री.मै. अनुसूचित जनजाति बालक/बालिका एवं 50/100 सीटर पो.मै. अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास की स्थापना एवं सीट वृद्धि हेतु ₹ 214.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

प्री. मैट्रिक छात्रावास

क्र.	पदनाम	वेतन लेवल	प्रति संस्था पदों की संख्या
1.	छात्रावास अधीक्षक	लेवल-06	01
2.	चतुर्थ श्रेणी	आकस्मिकता स्थापना	03
3.	पूर्णकालिन स्वीपर	कलेक्टर दर	01
योग			05

संस्था का विवरण

जिला	विकासखण्ड	संस्था
जशपुर	कुनकुरी	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास सलियाटोली
कांकेर	कोयलीबेड़ा	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास कौड़ोसालेभाट
कांकेर	अंतागढ़	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास कोलर
कांकेर	अंतागढ़	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास उसेली
सरगुजा	मैनपाट	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास राजापुर
दुर्ग	धमधा	50-50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालक/बालिका छात्रावास बोरी
मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास चिल्हाटी
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी -भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास बुंदेली
बलरामपुर	वाड्फनगर	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास कोंगवार
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी -भरतपुर	खड्गवा	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास बोडेमुड़ा
बस्तर	बकावंड	100-100 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालक/बालिका छात्रावास बकावंड
बिलासपुर	मस्तूरी	50 सीट की वृद्धि, प्री.मै. बैगा कन्या छात्रावास जरहाभांठा
बिलासपुर	तखतपुर	50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास नर्मदाधाम बेलपान
मुंगली	लोरमी	50-50 सीटर प्री.मै. अनु. जनजाति बालक/बालिका छात्रावास खुड़िया

पो. मैट्रिक छात्रावास

क्र.	पदनाम	वेतन लेवल	पद संख्या
1.	छात्रावास अधीक्षक	लेवल-08	01
2.	चतुर्थ श्रेणी	आकस्मिकता स्थापना	03
3.	पूर्णकालिन स्वीपर	कलेक्टर दर	01
योग			05

संस्था का विवरण

जिला	विकासखण्ड	संस्था
जशपुर	दुलदुला	50 सीटर पो.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास पतराटोली
गरियाबंद	गरियाबंद	50 सीट की वृद्धि, पो.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास गरियाबंद
रायगढ़	धरमजयगढ़	100 सीटर पो.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास धरमजयगढ़
मुंगली	लोरमी	50-50 सीटर पो.मै. अनु. जनजाति बालक/बालिका छात्रावास खुड़िया

बलरामपुर	वाडूफनगर	50 सीट की वृद्धि, पो.मै. अनु. जनजाति बालिका छात्रावास वाडूफनगर
----------	----------	---

अतः इस प्रयोजन के लिये ₹ 400 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

3. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹1,300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इन प्रयोजनों के लिये कुल ₹13,00,00,800 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

1. नवीन छात्रावास अंतर्गत छात्र भोजन सहाय योजना हेतु ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. पथलगांव जिला जशपुर में 250 सीटर अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास हेतु छात्र भोजन सहाय योजनांतर्गत आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

02 नवीन शासकीय महाविद्यालयों क्रमशः (1) रामपुर, जिला-कोरबा, (2) उमरेली, जिला-कोरबा की स्थापना हेतु ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
1	2	3	4
1	प्राचार्य	अका.लेवल-14+2000 विशेष भत्ता	02
2	सहायक प्राध्यापक	अका. लेवल - 10	24
3	ग्रंथपाल	अका. लेवल - 10	02
4	क्रीड़ाधिकारी	अका. लेवल - 10	02
5	सहायक ग्रेड-01	लेवल - 07	02
6	प्रयोगशाला तकनीशियन	लेवल - 06	10
7	सहायक ग्रेड-02	लेवल - 06	02
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल - 06	02
9	सहायक ग्रेड-03	लेवल - 04	02
10	प्रयोगशाला परिचारक	लेवल - 03	10
11	भृत्य	लेवल - 01	04
12	बुक लिफ्टर	लेवल - 01	02
13	स्वच्छक	लेवल - 01	02
14	चौकीदार	लेवल - 01	02
योग			68

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11 से 14

02 नवीन शासकीय महाविद्यालयों के लिए कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर हेतु ₹ 50.00 लाख, बिजली एवं जल प्रभार हेतु ₹ 20.00 लाख, अन्य आकस्मिक व्यय हेतु ₹ 50.00 लाख तथा सूचना प्रौद्योगिकी मद हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 2,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 15

02 नवीन शासकीय महाविद्यालयों के लिए मशीन एवं उपकरण के अनुरक्षण कार्य हेतु राशि ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16 से 17

02 नवीन शासकीय महाविद्यालयों के लिए सामग्री एवं पूर्तियां मद अंतर्गत गैर-कार्यालयीन फर्नीचर हेतु ₹ 100.00 लाख एवं भण्डार तथा कच्चा माल मद हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 18 से 19

पाली, जिला-कोरबा में नवीन शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करने के लिए स्थापना एवं कार्यालय व्यय हेतु ₹30.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्यशीर्ष 2204

मद क्रमांक 20

राज्य युवा मितान क्लब हेतु ₹ 760.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किये जाने हेतु राशि ₹88.768 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 88,76,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 22

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली, वि.ख. पाली, जिला-कोरबा को 50 बिस्तर सिविल अस्पताल का दर्जा देते हुए 21 अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु ₹ 125.99 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
01.	अस्पताल अधीक्षक	लेवल-13	01
02.	चिकित्सा अधिकारी	लेवल-12	05
03.	स्टॉफ नर्स	लेवल-7	10
04.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	लेवल-6	01
05.	लैब टेक्निशियन	लेवल-7	02
06.	डेंटल असिस्टेंट/डेंटल टेक्निशियन	लेवल-4	01
07.	चौकीदार	लेवल-1	01
पदों की संख्या			21

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगीचा, वि.ख. बगीचा जिला-जशपुर को 100 बिस्तर सिविल अस्पताल में उन्नयन करने के लिए पूर्व पदों को समाप्त करते हुए कुल 94 पदों के सृजन हेतु ₹ 513.62 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
------	-----------	----------------	-----------

1.	अस्पताल अधीक्षक	लेबल-13	01
2.	मेडिकल विशेषज्ञ	लेबल-13	01
3.	सर्जिकल विशेषज्ञ	लेबल-13	01
4.	निश्चेतना विशेषज्ञ	लेबल-13	01
5.	शिशुरोग पी.जी.एम.ओ.	लेबल-12	01
6.	रेडियोलोजिस्ट पी.जी.एम.ओ.	लेबल-12	01
7.	ई.एन.टी. पी.जी.एम.ओ.	लेबल-12	01
8.	नेत्र रोग पी.जी.एम.ओ.	लेबल-12	01
9.	अस्थिरोग पी.जी.एम.ओ.	लेबल-12	01
10.	भेषज पी.जी.एम.ओ.	लेबल-12	01
11.	स्त्रीरोग पी.जी.एम.ओ.	लेबल-12	01
12.	दंत चिकित्सक	लेबल-12	01
13.	चिकित्सा अधिकारी	लेबल-12	08
14.	नर्सिंग सिस्टर	लेबल-9	02
15.	मेडिकल रिकार्ड अधिकारी	लेबल-8	01
16.	स्टाफ नर्स	लेबल-7	30
17.	आडियोमेट्रिशियन	लेबल-7	02
18.	लैब टेक्नीशियन	लेबल-7	04
19.	रेडियोग्राफर	लेबल-6	02
20.	स्टोरकीपर	लेबल-6	02
21.	लेखापाल	लेबल-6	01
22.	फार्मासिस्ट ग्रेड-02	लेबल-6	02
23.	ऑपथलमिक असिस्टेंट	लेबल-4	01
24.	डेंटल असिस्टेंट	लेबल-4	01
25.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	लेबल-4	01
26.	लैब अटेण्डेंट	लेबल-4	03
27.	कोल्ड चैन कम वैक्सिन लॉजिस्टिक असिस्टेंट	लेबल-4	02
28.	सहायक ग्रेड-3	लेबल-4	02
29.	वाहन चालक	लेबल-4	01
30.	ड्रेसर ग्रेड-1	लेबल-4	01
31.	ड्रेसर ग्रेड-2	लेबल-1	02
32.	वार्ड ब्वाय	लेबल-1	05
33.	आया	लेबल-1	05
34.	भृत्य	लेबल-1	01
35.	धोबी	लेबल-1	01
36.	चौकीदार	लेबल-1	01
37.	स्वीपर	लेबल-1	01
कुल पद			94

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 24

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 25 से 27

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹ 1224.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,24,70,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कर्मांक 28

- ग्राम-नागपुर, वि.खं.-मनेन्द्रगढ़ जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 30 बिस्तर नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए 37 पदों के सृजन हेतु ₹ 208.89 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
1.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	लेवल-13	01
2.	सामान्य सर्जन	लेवल-13	01
3.	मेडिकल विशेषज्ञ	लेवल-13	01
4.	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	लेवल-13	01
5.	शिशुरोग विशेषज्ञ	लेवल-13	01
6.	निश्चेतना विशेषज्ञ	लेवल-13	01
7.	दंत चिकित्सक	लेवल-12	01
8.	चिकित्सा अधिकारी	लेवल-12	02
9.	नर्सिंग सिस्टर	लेवल-7	01
10.	लैब टेक्नशियन	लेवल-7	02
11.	रेडियोग्राफर	लेवल-7	01
12.	ओ.टी. टेक्नशियन	लेवल-7	01
13.	बी.ई.ई.	लेवल-7	01
14.	स्टॉफ नर्स	लेवल-7	05
15.	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	लेवल-6	01
16.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	लेवल-4	02
17.	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	03
18.	दंत सहायक	लेवल-4	01
19.	ड्रेसर ग्रेड-1	लेवल-4	01
20.	वाहन चालक	लेवल-4	01
21.	ड्रेसर ग्रेड-2	लेवल-1	01
22.	वार्ड ब्वॉय	लेवल-1	02
23.	भृत्य	लेवल-1	01
24.	धोबी	लेवल-1	01
25.	चौकीदार	लेवल-1	01
26.	स्वीपर	लेवल-1	01
27.	आया	लेवल-1	01
कुल पद			37

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धनोरा वि.खं.-केशकाल, जिला-कोण्डागांव को 50 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने के लिए 21 अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु ₹ 329.49 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
01.	अस्पताल अधीक्षक	लेवल-13	01

02.	चिकित्सा अधिकारी	लेवल-12	05
03.	स्टॉफ नर्स	लेवल-7	10
04.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	लेवल-6	01
05.	लैब टेक्नशियन	लेवल-7	02
06.	डेंटल असिस्टेंट/डेंटल टेक्नशियन	लेवल-4	01
07.	चौकीदार	लेवल-1	01
पदों की संख्या			21

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 29

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 30

- उप स्वास्थ्य केन्द्र गम्हारी, वि.खं.-विश्रामपुरी, जिला-कोण्डागांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने के लिए 12 पदों के सृजन हेतु ₹ 56.01 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
01.	चिकित्सा अधिकारी	लेवल-12	01
02.	ग्रामीण चिकित्सा सहायक अधिकारी	लेवल-8	01
03.	फार्मासिस्ट	लेवल-7	01
04.	स्टॉफ नर्स	लेवल-7	03
05.	लैब टेक्नशियन	लेवल-7	01
06.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	लेवल-4	01
07.	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	01
08.	वार्ड ब्वाय	लेवल-1	01
09.	आया	लेवल-1	02
पदों की संख्या			12

- ग्राम वकावण्ड, वि.खं.-बकावण्ड जिला-बस्तर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए 12 पदों के सृजन हेतु ₹ 56.01 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
01.	चिकित्सा अधिकारी	लेवल-12	01
02.	ग्रामीण चिकित्सा सहायक अधिकारी	लेवल-8	01
03.	फार्मासिस्ट	लेवल-7	01
04.	स्टॉफ नर्स	लेवल-7	03
05.	लैब टेक्नशियन	लेवल-7	01
06.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	लेवल-4	01
07.	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4	01
08.	वार्ड ब्वाय	लेवल-1	01
09.	आया	लेवल-1	02
पदों की संख्या			12

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 31

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 32

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु ₹ 3,800.00 लाख संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 2217

मद क्रमांक 33

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹1772.51 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹17,72,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹1506.84 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹15,06,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹559.75 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,59,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹475.845 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹4,75,84,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹2332.28 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹23,32,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹1982.685 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹19,82,68,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 39

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय करने हेतु ₹ 1,900.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष-2235

मद क्रमांक 40

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के बढ़े हुए मानदेय हेतु ₹ 7500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41 से 42

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, ईसीसीई सामग्री, बर्तन, दर्री, टाटपट्टी, वजन मशीन इत्यादि क्रय हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत सहायता राशि के भुगतान हेतु ₹ 900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 44

शुचिता योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, ईसीसीई सामग्री, बर्तन, दर्री, टाटपट्टी, वजन मशीन इत्यादि क्रय हेतु ₹ 450.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 45

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, ईसीसीई सामग्री, बर्तन, दर्री, टाटपट्टी, वजन मशीन इत्यादि क्रय हेतु ₹ 2800.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 46

गोधन न्याय योजना अंतर्गत स्वावलंबी गोठानों के अशासकीय सदस्यों एवं अध्यक्षों के मानदेय भुगतान हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 47 से 49

1 नेशनल लाईवस्टॉक मिशन योजना अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के क्रियान्वयन हेतु ₹200 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

2. नेशनल लाईवस्टॉक मिशन योजना अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के क्रियान्वयन हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹ 300 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 50

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत कार्यालय व्यय हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹1.47 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 51

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹0.30 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 52

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत सामग्री और पूर्तियां मद हेतु राज्यांश के रूप में ₹15.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 64

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में ₹4.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 65

प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति पर राज्यांश के रूप में ₹11.30 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 66 से 70

1. स्मार्ट पीडीएस योजना के संचालन हेतु केन्द्रांश की राशि ₹44.85444 लाख एवं राज्यांश की राशि ₹ 29.90296 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 74,75,740 का प्रावधान किया गया है।

2. राईस फोर्टिफिकेशन योजना हेतु ₹2,875.9616 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 28,75,96,160 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

3. पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन योजना हेतु केन्द्रांश की राशि ₹2964.00 लाख एवं राज्यांश की राशि ₹646.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,10,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹ 65,60,71,900 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 71

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु केन्द्रांश ₹ 132.58 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,32,58,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 72

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु राज्यांश ₹ 88.39 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 88,39,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 73

पॉवर कंपनी के ऋण के ब्याज का टेकओवर (ऋण अदायगिया) हेतु ₹ 1911.02 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19,11,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 74

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजनान्तर्गत ₹ 11,400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 75

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना हेतु ₹ 4,358.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 43,58,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 76

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹30.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 77

औद्योगिक इकाईयों को उद्योग स्थापना हेतु लागत पूंजी अनुदान दिये जाने बाबत ₹2000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 78

प्रदेश की शालाओं में मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹ 16,734.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,67,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 79

ग्राम पिनकापार जिला बालोद में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय, 100 सीटर आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर नरहरपुर एवं 100 सीटर पो.मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास छाल, वि.ख. धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के भवन निर्माण हेतु ₹ 40.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 80

पाली, जिला-कोरबा में नवीन शासकीय पॉलीटेक्निक (माईनिंग) प्रारंभ करने के लिये मशीन एवं उपकरण क्रय किये जाने हेतु ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 81

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने एवं उन्नयन हेतु यू. जी./एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि के लिए तीन जिलों क्रमशः अंबिकापुर, रायगढ़ एवं बिलासपुर प्रत्येक के लिए राशि ₹ 90.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 270.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 82

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने एवं उन्नयन हेतु यू. जी./एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि के लिए तीन जिलों क्रमशः अंबिकापुर, रायगढ़ एवं बिलासपुर प्रत्येक के लिए राशि ₹ 60.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 180.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4215

मद क्रमांक 83

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹41800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹4,18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4217

मद क्रमांक 84

अमृत मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश राशि के रूप में ₹4240.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹42,40,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 85

अमृत मिशन योजनान्तर्गत राज्यांश राशि के रूप में ₹1476.96 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹14,76,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 86 से 87

आंगनवाड़ी भवन निर्माण एवं पेयजल सुविधा कार्य हेतु ₹3550.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 35,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 88

नाबार्ड सहायता से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु ₹970.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹9,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 89

लघु सिंचाई योजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है:-

1. जशपुर जिले के कोतबा के खमगाढ़ा नाला पर निर्मित सतीघाट स्टापडेम के जीर्णोद्धार एवं नहर सुधार कार्य हेतु ₹167.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

2. जशपुर जिले के प्रेमनगर (बटईकेला) के घुघरी नदी पर एनीकट सह काजवे निर्माण कार्य हेतु ₹498.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 90

कृषि पंपों का ऊर्जाकरण योजना हेतु ₹ 12742.16 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 127,42,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 91

रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना हेतु ₹ 1356.98 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,56,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 92

सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान योजना (सौर सुजला योजना फेस-6 की बकाया राशि) हेतु ₹ 2285.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹22,85,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4851

मद क्रमांक 93

औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी में वेयरहाउस फैक्टरी निर्माण हेतु (लागत 1624.00 लाख) ₹500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 94

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 16 सड़क निर्माण हेतु ₹ 1650.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा का नाम	डी.पी.आर. अनुसार		
			सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (रू. लाख में)
1	नारायणपुर	नारायणपुर	मढ़ोनार रोड़ से गौरदण्ड गुटपाल उमरगांव	3.35	423.18
2	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा (वि.ख. -कुआकोण्डा)	ग्राम उदेला से खुटेपाल	6.00	571.60
3			ग्राम चोलनार से मड़कामौरास	5.00	362.71
4	सूरजपुर	प्रेमनगर	गेतरा से महगाई मुख्य मार्ग	2.70	253.97
5		भटगांव (वि.ख. -ओड़गी)	कुदरगढ़-गढ़ईपारा से घुईडीह तक	21.00	1915.41
6	गौरैला-पण्डा-मरवाही	कोटा (वि.ख. -गौरैला)	सालहेघोरी से जामकछार मार्ग	4.50	640.24
7	सरगुजा	अंबिकापुर	पीएमजीएसवाय सड़क आत्मा सिंह के घर से टाटी डांड पंडरीपानी बांध तक (वृहत पुल सहित)	1.05	398.30
8			सुखरी-कोयल डुगु से बिछलीपारा होते राजभान सरपंच घर तक	3.80	351.09
9			बिलासपुर एन.एच. मेन रोड़ में (फुटामुड़ा तालाब) में चिटकीपारा रोड़ निर्माण	2.00	313.61
10		लुण्डा (वि.ख. -अंबिकापुर)	सुन्दर सेमरापारा से जंगलपारा होते हुये सुखरी मेन रोड़ तक	1.50	280.95
11		अंबिकापुर	पी.डब्लू.डी. रोड नहरपारा से काली मंदिर रायगढ़ एन.एच. तक	2.80	263.09
12			कांतीप्रकाशपुर ढीरीकोना में सड़क निर्माण	0.90	101.48
13		लुण्डा (वि.ख. -अंबिकापुर)	सहागा अटल चौक से घुनघुटा अमृत फिल्टर प्लांट से पी.डब्लू.डी. रोड़ जगदीशपुर तक	3.50	401.50
14		अंबिकापुर	श्रीगढ़ प्रधानपारा से पंचायत भवन होते हुये गर्दनपाट	1.50	280.95
15			खैरबार मुख्यमार्ग बांकी डेम तक	4.00	413.00
16		लुण्डा	डीगमा साई कॉलेज से गौशाला रोड़ तक	4.00	407.71

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 16,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5275

मद क्रमांक 95

संचार क्रांति योजना हेतु ₹363.28 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,63,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।